प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 24.06.2024

क्राईम ब्रॉन्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद, स्वाट टीम सिटी जोन गाजियाबाद व थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा 03 शातिर अपराधी बाद पुलिस मुठभेड गिरफ्तार जिनके कब्जे लूट की नगदी, आभूषण, चोरी की एक मोटर साईकिल व असलहे आदि बरामद

दिनाँक-24/06/24 को क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद, स्वाट टीम सिटी जोन गाजियाबाद व थाना नन्दग्राम पुलिस की संयुक्त कार्यवाही मे 03 शातिर अभियुक्त पवन भाटी, प्रशान्त भडाना व लखन को नन्दी पार्क गौशाला के पास थाना क्षेत्र नन्दग्राम में बाद पुलिस मुठभेड गिरफ्तार करने में महत्तवपूर्ण सफलता हासिल की गयी है उपरोक्त मोटर साईकिल सवार अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर बैरियर लगाकर रोकने का प्रयास किया गया तो अभियुक्त पवन भाटी व प्रशान्त भडाना द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किये गये जिस पर पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ किये गये फायर से 02 बदमाश पवन भाटी व प्रशान्त भडाना पैर मे गोली लगने से घायल हो गये 03 बदमाशो को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया तथा एक बदमाश मोटर साईकिल सहित फरार हो गया। घायल बदमाशो को तत्काल उपचार हेतु सरकारी अस्पताल भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से नाजायज असलहा, 01 मोटर साईकिल अपाचे चोरी की तथा दिनाँक-11/06/24 को थाना नन्दग्राम क्षेत्र मे ज्वैलर को गोली मारकर की गयी लूट के 15,500 रू0 नगद, 610 ग्राम चाँदी के आभूषण बरामद हुए है।

अवगत कराना है कि दिनांकः 11/06/2024 को सुनार श्री दीपक वर्मा निवासी मोहल्ला विद्या विहार सिहानी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद व उनका भाई अंकित वर्मा निवासी उपरोक्त जो चाँदनी चौक दिल्ली से सोने-चाँदी के आभूषण का लेन-देन करके वापस आते हुए नन्दी पार्क थाना नन्दग्राम क्षेत्र पहुँचे तो पीछे से मोटर साईकिल सवार 02 अज्ञात व्यक्ति आये और वादी की मोटर साईकिल गिराकर दीपक वर्मा के हाथ मे गोली मारकर उनका बैग जिसमें 02 किलोग्राम चाँदी व 25 ग्राम सोना व 40,000 रू0 नगद थे लूट कर ले गये थे इस सनसनी खेज घटना के आनावरण हेतु स्वॅाट टीम क्राईम ब्रान्च गाजियाबाद, स्वाट टीम सिटी जोन व थाना नन्दग्राम पुलिस टीम को लगाया गया था।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त पवन ने बताया कि वह 10वीं फेल है और खेती का काम करता है परन्तु उसमे फायदा न होने के कारण चोरी, लूट, रंगदारी, हत्या का प्रयास व हत्या आदि अपराध करने लगा जिसमें वह कई बार जेल जा चुका है जनवरी माह मे पुलिस मुठभेड में थाना बिसरख जनपद-गौतमबुद्धनगर मे उसके पैर मे गोली लग गयी थी तथा उसके कुछ साथी जेल चले गये थे जेल से छूटने के बाद उसने प्रशान्त भडाना, नीशू व लखन के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाया और अपराध करने लगा। अभियुक्त प्रशान्त भडाना ने बताया कि वह 10वी पास है तथा जे0पी0 स्पोर्टस कॉम्पलैक्स दनकौर गार्ड की नौकरी करता था जिसमे उसे 6,800रू0 प्रति माह मिलते थे जिससे उसके शौक व खर्चे पूरे नही हो पाते थे तो वह पवन व नीशू के सम्पर्क मे आया और अपराध करने लगा। अभियुक्त लखन ने पूछताछ पर बताया कि वह 12वीं पास है और वह भी जे0पी0 स्पोर्टस कॉम्पलैक्स दनकौर गार्ड की नौकरी करता था जिसमे उसे 11,000 रू0 प्रति माह मिलते थे वही पर उसकी दोस्ती प्रशान्त भडाना से हुई थी प्रशान्त के माध्यम से ही वह पवन व नीशू से मिला था। अभियुक्तगणो ने पूछताछ पर बताया कि इन लोगो का एक संगठित गिरोह है दिनाँक-09/06/24 को बढपुरा दादरी मे पवन के खेत पर लूट की योजना बनायी थी कि चाँदनी चौक दिल्ली से काफी व्यापारी व ज्वैलर्स काफी नगदी व ज्वैलरी लेकर आते जाते हैं उन्हे लूटने की योजना बनाकर एक दिन पहले रास्ते की रैकी किया तथा दिनाँक-11/06/24 को योजनानुसार 02 मोटर साईकिलो से चाँदनी चौक पहुँच गये लूट प्रशान्त व नीशू को करना था पवन व लखन दूसरी मोटर साईकिल पर बैक-अप मे थे कि यदि लूट के दौरान कोई गडबडी होने पर प्रशान्त व नीशू का साथ देकर लूट करके भागा जा सके, जैसे ही दीपक वर्मा अपने भाई के साथ चाँदनी चौक से ज्वैलरी व कैश का बैग लेकर चले तो ये लोग मोटर साईकिल पर गाजियाबाद का नम्बर देखकर उसके पीछे हो लिये और उसका पीछा करते हुए नन्दग्राम मे नन्दी पार्क गौशाला के पास प्रशान्त व नीशू ने सुनार की मोटर साईकिल गिरा दी और उनका बैग लूटने का प्रयास किया और इस पर बैग पकडे सुनार विरोध करने लगा तो प्रशान्त ने सुनार को गोली मार दी और

बैग लूट लिया। लूट के बाद चारो अभियुक्त पवन के खेत बढपुरा दादरी पहुँचे और लूट के पैसे आपस मे बाँट लिये तथा आधी ज्वैलरी नीशू बेचने के लिए ले गया और बची हुई ज्वैलरी को इन लोगो ने आपस मे बाँट लिया। लूट करके हिस्से मे मिले पैसे से हम सभी लोग अपने शौक पूरे करते हैं व अपने घर का खर्चा चलाते है, हम लोग यह काम काफी समय से कर रहे हैं।

अभियुक्तगण काफी शातिर किस्म के अपराधी हैं जिनके द्वारा गाजियाबाद व दिल्ली एन0सी0आर0 में लूट की कई वारदातों को अंजाम दिया गया है। अभियुक्तों से मिली जानकारी के आधार पर फरार अभियुक्त नीशू की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु टीम बनाकर कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.पवन भाटी पुत्र सतीश भाटी निवासी ग्राम बढपुरा थाना दादरी जनपद-गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 27 वर्ष (घायल)

2.प्रशान्त भडाना पुत्र गजब सिह निवासी ग्राम निदामपुर थाना सिकन्द्राबाद जनपद-बु0शहर उम्र-20 वर्ष (घायल)

3.लखन पुत्र ब्रहमपाल निवासी ग्राम गुनपुरा थाना दनकौर जनपद-गौतमबुद्धनगर उम्र करीब-22 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1.सुनार से लूटे चाँदी के आभूषण- 610 ग्राम

2.सुनार से लूटी नगदी- 15,500 रू0

3.अवैध तमन्चे 315 बोर – 02 अदद

4.अवैध कारतूस 315 बोर-02 अदद जिन्दा व 02 अदद खोखा

5.मोटर साईकिल अपाचे रंग सफेद – 01 अदद (चोरी की)

आपराधिक इतिहासः-

1.अभियुक्त पवन भाटी के विरुद्ध दिल्ली में 01, गौतमबुद्धनगर में 07, बुलन्दशहर मे 02 व गाजियाबाद मे 02 कुल 12 अभियोग पंजीकृत है।

2.अभियुक्त प्रशान्त भडाना के विरूद्ध दिल्ली में 01 व गाजियाबाद मे 02 कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।

3.अभियुक्त लखन के विरूद्ध दिल्ली में 01 व गाजियाबाद मे 02 कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

1.क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

2.स्वाट टीम, सिटी जोन पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

3.थाना नन्दग्राम पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा 02 जिला बदर अपराधी गिरफ्तार।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 23.06.2024 को सायंकालीन चेंकिग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत 02 जिला बदर अपराधी 1.रितिक पुत्र महेन्द्र निवासी बागराणप लोनी गाजियाबाद 2. अभय उर्फ कल्लू पुत्र ज्ञान्नेद्र नागर निवासी 25 फुटा रोड़ सरल कुंज वार्ड न0 13 निकट भारत नर्सरी लोनी गाजियाबाद को थाना क्षेत्र लोनी बंथला फ्लाई ओवर के पास नवीन कुंज रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा-10 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त रितिक को दिनांक 16.01.2024 व अभियुक्त अभय उर्फ कल्लू को दिनांक 03.04.2024 को माननीय न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश के क्रम में 06 माह की अवधि के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमा से बाहर जिला बदर किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1. रितिक पुत्र महेन्द्र निवासी बागराणप लोनी गाजियाबाद, उम्र 20 वर्ष

2. अभय उर्फ कल्लू पुत्र ज्ञान्नेद्र नागर निवासी 25 फुटा रोड़ सरल कुंज वार्ड न0 13 निकट भारत नर्सरी लोनी गाजियाबाद, उम्र 22 वर्ष

<u>अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग</u>

1- अभियुक्त रितिक के विरूद्ध थाना लोनी पर धारा-10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया व पूर्व से थाना लोनी पर चोरी, हत्या का प्रयास व बरामदगी का 01 अभियोग व थाना इन्द्रापुरम पर षंडयन्त्र कर डकैती व बरामदगी का 01 अभियोग पंजीकृत हैं। कुल पंजीकृत अभियोग- 03

2- अभियुक्त अभय उर्फ कल्लू के विरूद्ध थाना लोनी पर धारा-10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया व पूर्व से थाना लोनी बॉर्डर पर हत्या, हत्या का प्रयास, मारपीट व लूट/डकैती, गैंगस्टर, वाहन चोरी व बरामदगी आदि के 09 अभियोग व थाना ट्रोनिका सिटी पर वाहन चोरी व बरामदगी का 01 अभियोग पंजीकृत हैं। कुल पंजीकृत अभियोग- 11

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम</u>

थाना लोनी पुलिस टीम